संख्या-30 /2024/583/30-3-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 16 मार्च, 2024

विषय- इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवेशष 5 प्रतिशत की धनराशि तथा जी0एस0टी0 के मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-281स0सु0/2024-06-प्रावि0स0सु0/201-21, दिनांक 26 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवेशष 5 प्रतिशत की धनराशि तथा जी0एस0टी0 के मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पिरयोजना प्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा की गयी मांग के आधार पर लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 107.21 लाख (योजना पर 5 प्रतिशत की अवमुक्त की जाने वाली शेष धनराशि रू0 52.44 + योजना पर जी0एस0टी0 के मद में व्यय धनराशि रू0 54.77 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि तथा जी0एस0टी0 के मद में भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि रू0 107.21 लाख (योजना पर 5 प्रतिशत की अवमुक्त की जाने वाली शेष धनराशि रू0 52.44 + योजना पर जी0एस0टी0 के मद में व्यय धनराशि रू0 54.77 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231 /2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 107.22 लाख से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-655-X-2023-24, दिनांक 16-03-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-30/2024/583(1)/30-3-2024, तददिनॉक।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।